

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आं.व./ICDS/18/11/19/19/2018

जयपुर, दिनांक: 27/11/18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
.....जिला.....

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य के विभिन्न उपमदों के अंतर्गत निम्न बजट मदों में अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

नोन टी.एस.पी. परियोजनाओं के लिए
मांग संख्या-33
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197- ब्लॉक पंचायत/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से
[02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाविपअ, रामगढ	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	3.00	10.50
			राज्य निधि	22.50	9.00	31.50
			राज्य निधि-ब	15.00	3.00	18.00
2	.. राजगढ-अलवर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	10.00	17.50
			राज्य निधि	22.50	30.00	52.50
			राज्य निधि-ब	15.00	0.00	15.00
3	.. बीकानेर ग्रा.	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.25	0.40
			राज्य निधि	0.45	0.75	1.20
			राज्य निधि-ब	0.30	0.00	0.30
4	.. कामां	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
5	.. झालरापाटन	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	15.00	2.50	17.50
			राज्य निधि	45.00	7.50	52.50
			राज्य निधि-ब	15.00	0.00	15.00
6	.. डग	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	0	15.00
7	.. गोविन्दगढ I	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	8.50	1.50	10.00
			राज्य निधि	25.50	4.50	30.00
			राज्य निधि-ब	17.00	2.00	19.00
8	.. डीडवाना ग्रा.	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
9	.. सोजत सिटी	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	4.00	11.50
			राज्य निधि	22.50	12.00	34.50
			राज्य निधि-ब	15.00	2.00	17.00
		03. यात्रा व्यय	राज्य निधि-ब	0.30	0.30	0.60
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.50	0.10	0.60
		20. वाहन संधारण	केन्द्रीय सहायता	0.30	0.06	0.36
			राज्य निधि	0.20	0.04	0.24

1	2	3	4	5	6	7
10	रूपवास	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	15.00	0.00	15.00
			राज्य निधि	45.00	0.00	45.00
			राज्य निधि-ब	25.00	5.00	30.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के परिपत्र क्रमांक 121369 दिनांक 15.9.16 के अनुसार कार्यालय व्यय मद अंतर्गत राशि 0.60 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम के नॉमर्स की सीमान्तर्गत व्यय सीमित रखना जाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/195929-28
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दि: 5/11/18

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार